

न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर), सिरोही  
बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 11/2023

प्रार्थी

1. मृतक भंवरलाल पुत्र श्री नैनाराम जाति रावल के कायम मुकाम-
  - 1.1 श्री प्रदीप पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जाति रावल निवासी बालेश्वर हनुमानजी मन्दिर बारीघाटा सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
  - 1.2 श्री विनोद पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जाति रावल निवासी बालेश्वर हनुमानजी मन्दिर बारीघाटा सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
  - 1.3 श्रीमती जिनीदेवी पत्नि स्व. श्री भंवरलाल जाति रावल निवासी बालेश्वर हनुमानजी मन्दिर बारीघाटा सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
2. मृतक मोहनलाल पुत्र श्री नैनाराम जाति रावल के कायम मुकाम-
  - 2.1 श्री राधा देवी पत्नि स्व. श्री मोहनलाल जाति रावल निवासी बालेश्वर हनुमानजी मन्दिर बारीघाटा सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
3. मृतक चम्पालाल पुत्र श्री नैनाराम जाति रावल के कायम मुकाम-
  - 3.1 श्री जयन्तीलाल पुत्र स्व. श्री चम्पालाल जाति रावल निवासी बालेश्वर हनुमानजी मन्दिर बारीघाटा सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
  - 3.2 श्री विक्रम पुत्र स्व. श्री चम्पालाल जाति रावल निवासी बालेश्वर हनुमानजी मन्दिर बारीघाटा सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
  - 3.3 श्रीमती जशोदा देवी पत्नि स्व. श्री चम्पालाल जाति रावल निवासी बालेश्वर हनुमानजी मन्दिर बारीघाटा सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
4. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री नैनाराम जाति रावल निवासी बालेश्वर हनुमानजी मन्दिर बारीघाटा सिरोही तहसील व जिला सिरोही।
5. श्री शंकरलाल पुत्र श्री नैनाराम जाति रावल निवासी बालेश्वर हनुमानजी मन्दिर बारीघाटा सिरोही तहसील व जिला सिरोही।



बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट); सिरोही जिला सिरोही।
2. नेशनल हाईवे ऑथोरिटी जरिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया पाली जिला पाली।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 सपठित  
आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट, 1996

उपस्थिति :-

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक : 28.08.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र धारा 3(जी) (5) नेशनल हाईवे एक्ट के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही द्वारा मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही तहसील सिरोही जिला सिरोही के खसरा संख्या 1797, 1798 व 1799 की भूमि को नेशनल हाईवे हेतु अवाप्त कर उक्त भूमि के दिए गए

  
आरबीट्रेटर  
जिला कलक्टर, सिरोही

मुआवजे से असहमत होकर यह प्रार्थना पत्र आरबीट्रेसन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट 1996 के तहत आरबीट्रेसन की कार्यवाही हेतु दिनांक 20.05.2013 को प्रस्तुत किया, जो इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 02/2013 अनवान श्री भंवरलाल व अन्य बनाम सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) सिरौही व अन्य के नाम से दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद सुनवाई पक्षकारान् दिनांक 14.03.2015 को निर्णय पारित किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2015 के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या दो नेशनल हाईवे ऑथोरिटी जरिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया पाली द्वारा माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश सिरौही में प्रस्तुत अपील/प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश सिरौही द्वारा दीवानी विविध(आरबीट्रेसन) संख्या 64/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2018 के द्वारा नेशनल हाईवे ऑथोरिटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित पंचाट आदेश दिनांक 14.03.2015 को निरस्त कर विधि अनुसार आवेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश सिरौही के निर्णय की पालना में प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्ष को नोटिस जारी किए गए, जिस पर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी।

प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई। प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की राजस्व भूमि खसरा संख्या 1797, 1798 व 1799 की भूमि मौजा सिरौही पटवार हल्का सिरौही तहसील सिरौही जिला सिरौही की भूमि सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) सिरौही द्वारा अवाप्त की जाकर उसका एवार्ड जारी किया है, जो गलत है। यह है कि सक्षम प्राधिकारी ने अपने एवार्ड में संरचना स्वामित्व प्रार्थीगण का मानते हुए उक्त एवार्ड जारी किया, जिसमें प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा निर्मित मन्दिर, सिढियां, दीवार तथा टीनशेड आदि तोड़कर उक्त भूमि अवाप्त की थी एवं प्रार्थीगण को सक्षम प्राधिकारी ने यह विश्वास दिलाया था कि उक्त भूमि निर्मित भाग व भूमि का नियमानुसार मुआवजा देय कर दिया जाएगा। उसके पश्चात कई बार प्रार्थीगण ने मुआवजा हेतु मांग की, लेकिन उन्हें कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया और न ही नोटिस दिया गया। उसके पश्चात समाचार पत्र में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ जिसमें जाहिर किया कि अवाप्तशुदा भूमि के समस्त चैकधारी मार्च माह में प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा उसके पश्चात चैक पुनः जमा हो जावेंगे, जिस पर प्रार्थीगण ने सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क किया तो उन्हें सर्वप्रथम 12.03.2013 को यह जानकारी हुई कि सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त एवार्ड के चैक वन विभाग सिरौही के नाम काट रखे थे, जिस पर प्रार्थीगण ने बिना किसी देरी के उसी दिन एवार्ड की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकल प्रार्थी को दिनांक 15.03.2013 को प्राप्त हुई, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी देरी के उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। यह है कि प्रार्थीगण ने अपने अवाप्तशुदा भूमि व उस पर निर्मित मंदिर, सिढियां, दीवार व टीनशेड आदि को मुआवजा प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी संख्या एक के कार्यालय में उपस्थित होकर क्लेम प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा क्लेम में वर्णित तथ्यों व उस पर की गई चर्चा व बहस को कन्सीडर नहीं किया गया है, जिससे एवार्ड जारी करने में त्रुटि हुई है। यह है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि शहर सिरौही के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर स्थित है एवं उक्त भूमि के पास में आवादी व मन्दिर है। इस प्रकार उक्त भूमि काफी कीमती है तथा भविष्य में उक्त



*(Handwritten signature)*

आरबीट्रेसन  
जिला कलेक्टर, सिरौही

सम्पूर्ण भूमि वाणिज्यिक व आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में आनी है। उक्त बहस को भी अवाप्ति अधिकारी ने कन्सीडर नहीं किया। इस प्रकार इसके पास स्थित कृषि भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य करीब 40 लाख रूपए बीघा है तथा आवासीय भूमि का 150/- रूपए वर्गफीट की दर से डी.एल.सी. मूल्य है। साथ ही पेड़-पौधों इत्यादि के मुआवजा का भी निर्धारण नहीं किया गया है। यह है कि उपरोक्त एवार्ड सन् 2009 की डी.एल.सी. दर से देने भारी भूल की है। उक्त तथ्य को गंभीरता से नहीं लिया है साथ ही कृषि भूमि का मुआवजा निर्धारण करते समय प्रति हैक्टेयर की भूमि की जो रकम तय की है, जो गलत है। यह है कि सक्षम प्राधिकारी ने प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का बाजार मूल्य को तय नहीं किया गया है। साथ ही उसके अडौस-पडौस में जो रजिस्ट्री हो रही है और मौके पर भूमि की उपयोगिता को नजरअंदाज किया गया है, जबकि मुआवजा भूमि की उपयोगिता के आधार पर दिया जाना चाहिए था। यह है कि धारा 3जी के तहत बाजार मूल्य का विस्तृत अर्थ अधीनस्थ अधिकारी ने नहीं समझा है, जबकि बाजार मूल्य के आधार पर विलिंग सेलर एवं विलिंग परचेजर के मध्य होने वाली राशि एक महत्वपूर्ण आधार है, इसके अतिरिक्त लोकैलिटी, प्रोसेबिलिटी, आस-पास की व्यावसायिक गतिविधि को भी मध्यनजर रखना चाहिए था, परन्तु प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जा सकती थी। यह है कि प्रार्थी को उपरोक्त एवार्ड की राशि पर 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि भी दिलाया जाना कानूनन आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा न्यूनतम मुआवजा रूपए 62,00,600/- मय 12 प्रतिशत की ब्याज दर सहित एवं अन्य कोई अनुतोष, जो श्रीमान उचित समझे, दिलाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा सिरौही के खसरा संख्या-- 1797, 1798 व 1799 का सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट), सिरौही द्वारा मुआवजा राशि का एवार्ड जारी करने में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह है कि खसरा संख्या 1797, 1798 व 1799 की भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि नहीं होकर राजकीय भूमि है, जो वन विभाग के क्षेत्राधिकार के स्वामित्व की भूमि है तथा खसरा संख्या 1799 का आंशिक भाग पूर्व से ही वन विभाग व सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। एवार्ड निर्मित संरचना के मूल्यांकन के अनुसार कारित क्षति बाबत पारित किया गया है तथा भूमि पर प्रार्थीगण का स्वामित्व निहित नहीं होने के कारण अभिलेख अनुसार भुगतान संबंधित विभाग के पक्ष में जारी किया गया है। यह है कि अधिनियम की धारा 3ए के प्रकाशन की दिनांक को जो भूमि की दर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा तय की गई है, जो कि स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के तहत आनुपातिक प्रणाली अनुसार तय की जाती है और कमेटी का गठन भी नियम 58 के तहत विधिक प्रावधान अनुसार किया जाता है। इसके विपरीत किसी भी तरह की अवधारणा किया जाना उचित नहीं है। अतः भूमि की किस्म कृषि रही है और मौके की व राजस्व अभिलेख के इन्द्राज के आधार पर अवाप्त भूमि की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 3ए के प्रकाशन दिनांक को प्रभावित बाजार दर के आधार पर एवार्ड पारित किया गया है, जिसमें वृद्धि व संशोधन किए जाने की कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। यह है कि कानूनी रूप से बाजार मूल्य का निर्धारण आसपास की रजिस्ट्री, सेलर परचेजर के मध्य एग्रीमेंट के आधार पर व मौके पर भूमि की उपयोगिता के आधार पर निश्चित नहीं होता है। यह है कि राष्ट्रीय

  
**आर्विट्रेटर**  
 जिला कलक्टर, सिरौही

राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जे में स्पष्ट प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में सोलेटियम के तहत किसी भी तरह की अदायगी मुआवजा बाबत विधिक प्रावधान ही नहीं है, जिसके विपरीत प्रार्थी द्वारा सोलेटियम व ब्याज क्लेम करना कानूनी आधारहीन है। साथ ही प्रार्थी द्वारा वर्णित कथन व मुआवजा गणना विधिक प्रावधानों के विपरीत होकर केवल मात्र काल्पनिक आधारों पर मुआवजा राशि की गणना की गई है, जिसे प्राप्त करने की अधिकारिता प्रार्थी को प्राप्त नहीं है। यह है कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जो भी अभिलेख व तथ्य प्रस्तुत हुए उनका विधि संगत निस्तारण करते हुए अवार्ड पारित किया गया, जिसमें किसी भी तरह की तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि नहीं रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के विधिक प्रावधानों के तहत अधिसूचना प्रकाशित होकर आपत्तियां आमंत्रित की गईं और अधिनियम की धारा 3सी के तहत आपत्तियों को निस्तारण किया जाकर अधिनियम की धारा 3डी के अनुसार उद्घोषणा जारी की गई, समस्त कार्यवाहियां विधिक प्रावधानों के तहत पूर्ण की गईं, जिसमें प्रार्थीगण को सम्पूर्ण अवसर प्रदान कर आपत्तियों का निस्तारण किया गया। अतः प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर दिया जाकर आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत ही अवार्ड पारित किया गया है, जिसमें वृद्धि व संशोधन किए जाने का कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं है। यह है कि जिला कलक्टर सिरौही द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि के सम्बन्ध में जारी अवार्ड की पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का उल्लेख एवं स्पीकिंग आदेश जारी किया जाना नहीं बताया है, जबकि कानूनन प्रार्थी द्वारा अपने भूमि के रूपान्तरण बाबत जो क्लेम के दस्तावेज दिए हैं, उसमें कानूनी रूप से नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3ए के प्रकाशन के समय भूमि की किस्म जो होती है, जो कि कृषि थी। इसलिए दस्तावेजात कानूनी रूप से गौण है तथा उन दस्तावेजों के रिकॉर्ड पर लेने पर भी मुआवजा राशि पर तनिक मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि P.Rajamani V/s. Union of India में मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत सोलेटियम व ब्याज देय नहीं है। इस बाबत सर्वाच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न मामलों में निर्णय किया जा चुका है। अतः पारित अवार्ड विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। यह है कि राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 की धारा 2(xxiii) में बाजार दर को परिभाषित किया गया है और नियम 58 में दर निर्धारण प्रक्रिया, प्रावधान दर्शित है। उक्त विधिक प्रावधान में निर्धारित बाजार दर वास्तविक रूप से व्यावहारिक बाजार दर है और इसी अनुसार मुआवजा आदेश जारी किया गया है। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा जो बाजार दर तय की गई है वह क्षेत्र से सम्बन्धित विक्रय विलेखों के आधार पर अनुपातिक दर निर्धारित कर सम्बन्धित वृद्धि करते हुए वास्तविक रूप से अवाप्त भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है तथा अधिनियम की धारा 3ए की प्रकाशन दिनांक को प्रभावित बाजार दर ही मुआवजा निर्धारण का आधार होती है। यह है कि अवाप्त भूमि की किस्म समस्त अभिलेखों में कृषि दर्ज है और जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन का आदेश पारित नहीं किया जाता है या पट्टा परिवर्तन का आदेश पारित नहीं किया जाता है या जारी पट्टे का उपपंजीयन कार्यालय में पंजीकरण नहीं करवाया जाता है तब तक उक्त भूमि की किस्म कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नहीं मानी जाती है और उक्त विधिक प्रावधानों के विपरीत कोई भी आधारित अवधारणा किसी भी न्यायालय द्वारा की जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है एवं पश्चातवृत्ति कार्यवाही अवाप्त भूमि की दर को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रभावित नहीं



  
**आबी ट्रेटर**  
 जिला कलक्टर, सिरौही

की जा सकती है। यह है कि अन्य भूमि की किस्म के आधार पर या अन्य भूमि के चपटी लगी हुई भूमि के आधार पर किस्म में परिवर्तन नहीं हो सकता तथा अवाप्त भूमि के आबादी व मन्दिर है व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। उक्त तथ्य इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के निवारण करने हेतु विधिक रूप से आधारहीन है, जिससे पारित अर्वाड राशि में वृद्धि के आधार के रूप में भी नहीं आ सकता है तथा साथ ही प्रार्थी को किसी भी तरह की हानि क्षति उक्त अवश्य कार्यवाही के परिणाम स्वरूप कार्य नहीं हुई है। यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक को जो बाजार दर रही है उसी अनुसार अवाप्त भूमि का मुआवजा अदा किया जाने का प्रावधान है। साथ ही धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि मौजा सिरोही पटवारी हल्का सिरोही तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा संख्या 1797, 1798 व 1799 की भूमि सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) सिरोही द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि खसरा संख्या 1797 व 1798 का स्वामित्व राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार वन विभाग सिरोही के पास था एवं खसरा संख्या 1799 बिलानाम सरकार दर्ज थी, जिसका स्वामित्व राज्य सरकार के पास निहित था। प्रार्थीगण के पास खसरा संख्या 1797, 1798 व 1799 से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व अथवा स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज यथा पट्टा हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कथन किया है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण को उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर केवल कब्जा है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अनुसार बिना पट्टे/बिना वैध दस्तावेज के निवास करने पर उस पर बनी संरचनाओं का ही मूल्यांकन के अनुरूप भुगतान किए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि को रही भूमि की किस्म एवं स्वामित्वधारक को ही अधिकारिता विधिक प्रावधान अनुसार रहती है, केवल मात्र कब्जे के आधार पर ही अवाप्तशुदा भूमि का स्वत्व, स्वामित्व प्रार्थीगण में निहित नहीं हो जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा कब्जे के आधार पर बनाए गए संरचनाओं की क्षति की राशि प्रार्थीगण को अदा कर दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने की दिनांक के बाद ग्राम पंचायत या अन्य किसी भी स्थानीय निकाय निगम को उक्त भूमि प्रलेख जारी करने, पट्टा जारी करने, स्वामित्व हस्तान्तरण करने के अधिकार प्राप्त नहीं है, यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि का बाजार मूल्य एवं हाईवे पर आबादी में स्थित होने एवं वाणिज्यिक व आवासीय उपयोग में होने के कारण अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का कथन किया है, परन्तु अवाप्ति के समय उक्त विवादग्रस्त खसरा संख्या 1797 व 1798 वन विभाग सिरोही के नाम दर्ज था एवं खसरा संख्या 1799 बिलानाम सरकार दर्ज था। अतः उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व निहित नहीं होने से प्रार्थीगण



अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) नई दिल्ली के पॉलिसी परिपत्र संख्या 7.1.53 पत्र संख्या 543 दिनांक 10.04.2017 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी भूमि जो स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम/नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत विलानाम सरकार आदि के नाम दर्ज है, उसका मुआवजा देय नहीं है, जिसके आधार पर प्रार्थीगण अवाप्तशुदा भूमि का मूल्यांकन प्राप्त करने की अधिकारिता नहीं रखता है, केवल संरचनाओं का ही मूल्यांकन के अनुरूप भुगतान प्राप्त करने की अधिकारिता रखता है, जिसका भुगतान प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी आपत्ति के प्राप्त कर लिया गया है। जहां तक प्रार्थी अधिवक्ता का उक्त अवार्ड पर सोलेशियम की राशि दिए जाने का कथन है। इस सम्बन्ध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा P.Rajamani V/s. Union of India में पारित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सोलेशियम की राशि देय नहीं है। मूल्यांकन प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा अपनी वेल्युवेशन रिपोर्ट विधिक आधार पर ही तैयार की गई है, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई संदिग्धता नहीं की जा सकती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त अवाप्तशुदा भूमि पर लगे पेड़-पौधे इत्यादि के मुआवजे की मांग की गई है। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में अवाप्ताधीन भूमि पर लगे पेड़-पौधे इत्यादि का मुआवजा दिया जाने अथवा नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही इस सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार की कोई नजीर पेश की है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्ताधीन भूमि पर लगे पेड़-पौधे इत्यादि का मुआवजा दिए जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया गया हो।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेखों की रोशनी में स्वीकार योग्य नहीं पाए जाने से निरस्त किया जाता है। मुआवजा राशि में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि किए जाने का आधार नहीं होने से प्रार्थी का क्लेम निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।



*(Signature)*

(शुभम चौधरी)  
जिला कलक्टर, (आरबीट्रेटर)  
सिराही (राज0)